

प्रेस नोट दिनांक : 12.09.2026

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज के पंजीकृत अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त बृजेश कुमार बनवासी उर्फ शनि पुत्र फूलचन्द्र, निवासी ग्राम रतनमई, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष को घूसलपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- बृजेश कुमार बनवासी उर्फ शनि पुत्र फूलचन्द्र, निवासी ग्राम रतनमई, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय कां0 राजू गोंड थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत एनबीडब्ल्यू के अनुपालन में 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान मा0 न्यायालय सीजेएम, प्रतापगढ़ द्वारा जारी मु0नं0 1265/2017 धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 504, 506 भादवि व 7 सीएल एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 1. राम सजीवन शर्मा पुत्र राम कुमार, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी डगैता बहलोलपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ एवं 2. बृजेश कुमार वर्मा उर्फ पंचू वर्मा पुत्र पृथ्वीपाल वर्मा, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी डगैता बहलोलपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम बहलोलपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1-राम सजीवन शर्मा पुत्र राम कुमार, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी डगैता बहलोलपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

2-बृजेश कुमार वर्मा उर्फ पंचू वर्मा पुत्र पृथ्वीपाल वर्मा, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी डगैता बहलोलपुर, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह उ0नि0 विनोद कुमार, हे0का0 दुर्गविजय, का0 संतोष कुमार एवं का0 अजीत उपाध्याय, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल करने एवं पुनः मारपीट की धमकी देने के प्रकरण में 01 अभियुक्त के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कर चालान किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दिलीपपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग, प्रार्थना पत्रों की जांच एवं मु0अ0सं0 199/2026 की विवेचना के दौरान वायरल वीडियो के संबंध में जांच की जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 12.09.2026 को ग्राम याहियापुर स्थित बाबा बेलखरनाथ धाम मंदिर के पास अभियुक्त सफवान उर्फ हंजला पुत्र गुलहसन शेख उर्फ लाला, निवासी ग्राम याहियापुर, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस से बहसबाजी करते हुए सुमित विश्वकर्मा को पुनः मारने की बात कहने तथा वीडियो को बड़े स्तर पर वायरल करने की धमकी देने पर शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका के दृष्टिगत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गई।

अभियुक्त का विवरण-

1- सफवान उर्फ हंजला पुत्र गुलहसन शेख उर्फ लाला, निवासी ग्राम याहियापुर, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक मय हमराह रि0का0 सत्य कुमार, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना बाघराय पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित,

वारंटी के दौरान मा० न्यायालय श्रीमान सिविल जज सीनियर डिवीजन, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र से सम्बन्धित धारा 147/452/324/323/504 भादवि से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त छोटे उर्फ राम नारायण मिश्रा पुत्र बाबादीन मिश्रा, नि० ग्राम बूढ़ेपुर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

छोटे उर्फ राम नारायण मिश्रा पुत्र बाबादीन मिश्रा, उम्र करीब 45 वर्ष, नि० ग्राम बूढ़ेपुर, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० वीरेंद्र प्रताप सिंह मय हमराह का० अतुल कुमार, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।